



Neutral Citation No. - 2026:AHC:170501

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 38347 वर्ष 2025

सुरक्षित

अमर सिंह और 14 अन्य

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : भरत सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता : अरविंद कुमार मिश्रा, देवेंद्र मिश्रा, शासकीय अधिवक्ता, प्रदीप कुमार,
सौरभ मिश्रा

के साथ अन्य 01 वाद

न्यायालय संख्या - 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री भारत सिंह, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार मिश्रा तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।

2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (संक्षेप में 'बी.एन.एस.एस.') की धारा 528 के अंतर्गत ये आवेदन आवेदकों द्वारा विशेष न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र, बदायूं द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 42 सन् 2006 (राज्य बनाम अमर सिंह और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 114 सन् 2005, धारा 396 आई.पी.सी., थाना-धनारी, जिला-बदायूं से उत्पन्न है, में पारित दिनांक 24.06.2025 के संपूर्ण कार्यवाही तथा संज्ञान/समन आदेश को निरस्त करने के लिए प्रस्तुत किए गए हैं।

3. आक्षेपित आदेश द्वारा विचारण न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के दिनांक 27.05.2025 के आवेदन को स्वीकार कर लिया है तथा आवेदकों एवं अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 396 आई.पी.सी. के अंतर्गत अतिरिक्त आरोप विरचित करने का आदेश दिया है।

4. अभियोजन मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 उर्मान सिंह ने दिनांक 11.11.2005 को नामजद अभियुक्तों एवं अन्य के विरुद्ध धारा 395 एवं 397 आई.पी.सी. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि नामजद अभियुक्त लाइसेंसी एवं अवैध हथियारों, फरसा तथा लाठियों से लैस होकर बाजार में आए और दुकानदारों तथा अन्य लोगों के साथ लूटपाट की। प्रथम सूचनाकर्ता तथा उसके भाइयों के साथ भी मारपीट की गई, जिसके परिणामस्वरूप राम रहीस, रामेश्वरी एवं भानु प्रकाश को गंभीर चोटें एवं फ्रैक्चर हुए। उपद्रवियों ने जनता को आगे आने से रोकने का भी प्रयास किया तथा उपद्रवियों द्वारा चलाई गई एक गोली अन्य उपद्रवी हरवीर को लग गई, जिसके परिणामस्वरूप उसकी मृत्यु हो गई। अभियुक्तों ने

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दुकानदारों की मोटरसाइकिल तथा धनराशि भी लूट ली और पूरे बाजार में तोड़फोड़ की, जो बुधवार और रविवार को खुलता था। उक्त सूचना के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई और जांच के पश्चात धारा 395 एवं 397 आई.पी.सी. के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल किया गया। अभियुक्त न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए और उनके विरुद्ध आरोप विरचित किए गए, जिन्हें उन्होंने अस्वीकार कर दिया। अभियोजन ने साक्षियों का परीक्षण कराया और उसके पश्चात धारा 396 आई.पी.सी. के अंतर्गत अतिरिक्त आरोप विरचित किए जाने हेतु दिनांक 27.05.2025 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन को आक्षेपित आदेश द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा आवेदकों एवं अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 396 आई.पी.सी. के अंतर्गत आरोप विरचित किए जाने हेतु मामला नियत किया गया।

5. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पी.डब्ल्यू. 1 उर्मान ने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और उसे प्रतिकूल साक्षी घोषित कर दिया गया है। पी.डब्ल्यू. 3 राम रहीस ने धारा 396 आई.पी.सी. के अंतर्गत अतिरिक्त आरोप विरचित किए जाने हेतु यह आवेदन प्रस्तुत किया है। इसके विरुद्ध आपत्ति दाखिल की गई थी। यह कहा गया है कि सभी साक्षी हितबद्ध साक्षी हैं और वे आवेदक अमर सिंह द्वारा धारा 302 आई.पी.सी. के अंतर्गत दर्ज कराए गए मामले में अभियुक्त हैं। विचारण विगत 20 वर्षों से लंबित है और अभियोजन द्वारा सात साक्षियों का परीक्षण कराया जा चुका है तथा शिकायतकर्ता ने मामले की कार्यवाही में विलंब करने का प्रयास किया है। न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए साक्षियों ने अभियोजन की कहानी का समर्थन नहीं किया है। साक्ष्य से धारा 396 आई.पी.सी. का अपराध नहीं बनता है और इसलिए आक्षेपित आदेश निरस्त किए जाने योग्य है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. इसके विपरीत, प्रतिवादी संख्या 3 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. ने विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि एकत्र किए गए साक्ष्य तथा न्यायालय के समक्ष अभिलिखित बयानों से आवेदकों के विरुद्ध धारा 396 आई.पी.सी. का अपराध बनता है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उसी घटना के संबंध में राम रहीस एवं अन्य के विरुद्ध एक प्रति-मामला लंबित है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि उसी घटना में हरवीर की मृत्यु आग्नेयास्त्र से लगी चोटों के कारण हुई थी। अतः आवेदकों एवं अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 396 आई.पी.सी. के अंतर्गत आरोप विरचित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है और यह केवल मामले के अंतिम निस्तारण के समय देखा जाएगा कि मृतक को आग्नेयास्त्र से चोटें आवेदकों की ओर से लगी थीं अथवा प्रतिवादी पक्ष की ओर से। अतः इस आवेदन में कोई बल नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

7. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की प्रस्तुतियों तथा अभिलेख के परिशीलन के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत आवेदन के आधार पर, अभियोजन साक्ष्य के अंतिम चरण में आवेदकों एवं अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 396 आई.पी.सी. के अंतर्गत अतिरिक्त आरोप विरचित किए जाने हेतु आक्षेपित आदेश पारित किया गया है। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि उसी घटना के संबंध में आवेदक संख्या 1 द्वारा पी.डब्ल्यू. 3 राम रहीस एवं अन्य के विरुद्ध धारा 302 आई.पी.सी. के अंतर्गत एक प्रति-मामला दर्ज कराया गया था।

8. आक्षेपित आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 (जिसकी संगत धारा 239 बी.एन.एस.एस. है) के अंतर्गत पारित किया गया है, जो यह प्रावधान करती है कि कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी आरोप में परिवर्तन कर सकता है अथवा कोई अतिरिक्त आरोप जोड़ सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. अतः उपर्युक्त प्रावधान के दृष्टिगत, विचारण न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पूर्व आरोप को जोड़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए सक्षम था। यह विवादित नहीं है कि अभियोजन पक्ष की ओर से आवेदन अभियोजन साक्षियों के परीक्षण के पश्चात प्रस्तुत किया गया था। आवेदकों की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले का कोई भी पक्ष, चाहे वह अभियोजन पक्ष हो अथवा अभियुक्त पक्ष, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अंतर्गत ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं रखता है। यह न्यायालय का एकमात्र विवेकाधिकार है कि यदि वह पर्याप्त समझे, तो मामले के किसी भी चरण में आरोप जोड़ सकता है अथवा उसमें परिवर्तन कर सकता है। यह भी तर्क दिया गया है कि उपर्युक्त प्रावधान सक्षमकारी प्रकृति का है और इस प्रकार यह किसी भी पक्ष को इस धारा के अंतर्गत न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर उक्त शक्ति का प्रयोग किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है, जैसा कि उक्त धारा में निहित है।

10. दूसरी ओर, प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि अभियोजन ऐसा आवेदन प्रस्तुत करने के लिए सक्षम था।

11. दोनों पक्षों की ओर से की गई प्रस्तुतियों तथा अभिलेख के परिशीलन के दृष्टिगत ऐसा प्रतीत होता है कि यह पुनरीक्षण दिनांक 10.06.2026 के उस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है, जिसके द्वारा सूचनाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन को खारिज कर दिया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 न्यायालय को निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी आरोप को जोड़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिए सक्षम बनाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 की परिधि एवं क्षेत्र के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ठाकुर राम और अन्य बनाम बिहार राज्य, एआईआर (1966) एससी 911** के मामले में अभिनिर्धारित किया है कि धारा 216 के अंतर्गत उपलब्ध शक्ति का प्रयोग केवल न्यायालय द्वारा

*अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



स्वयं किया जा सकता है और किसी पक्ष को उक्त प्रावधान के अंतर्गत कोई आदेश पारित किए जाने की मांग करने का अधिकार नहीं है। यह भी अभिनिर्धारित किया गया है कि कोई पक्ष आवेदन दाखिल करके अधिकार के रूप में ऐसे आरोप को जोड़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने की मांग नहीं कर सकता। यह विचारण न्यायालय ही है, जो विचारण के उपयुक्त चरण पर यह निर्धारित करेगा कि उचित आरोप विरचित किया गया है अथवा नहीं। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 216 के आह्वान की शक्ति विशेष रूप से न्यायालय में निहित है, जो निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किसी आरोप में परिवर्तन अथवा कोई अतिरिक्त आरोप जोड़ने के प्रयोजन के लिए एक सक्षमकारी शक्ति है। अतः किसी भी पक्ष को, चाहे वह वास्तविक शिकायतकर्ता हो, अभियुक्त हो अथवा अभियोजन पक्ष हो, अधिकार के रूप में आवेदन प्रस्तुत करके ऐसे आरोप को जोड़ने अथवा उसमें परिवर्तन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में, जब विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया आवेदन पोषणीय नहीं था, तब विचारण न्यायालय के लिए धारा 216 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आदेश पारित करना आवश्यक नहीं था। अतः अभियोजन के कहने पर प्रारंभ की गई संपूर्ण कार्यवाही पोषणीय नहीं थी और पूर्णतः गलत धारणा पर आधारित तथा विधि की दृष्टि से दूषित थी और विचारण न्यायालय को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए था। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आरोप विरचित करने में कोई चूक हुई हो और अपराध का विचारण कर रहे न्यायालय के संज्ञान में यह बात आती है, तो धारा 216 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय में आरोप में परिवर्तन करने अथवा अतिरिक्त आरोप जोड़ने की शक्ति सदैव निहित रहती है और ऐसी शक्ति का प्रयोग निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



12. माननीय उच्चतम न्यायालय के एक अन्य निर्णय **नल्लापारेड्डी श्रीधर रेड्डी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, (2020) 12 एस सी सी 467** में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अंतर्गत शक्तियों के क्षेत्र को विस्तारपूर्वक स्पष्ट किया गया है। यह कहा गया कि इस प्रावधान के अंतर्गत आरोप में परिवर्तन अथवा उसे बदलने की शक्ति अनन्य एवं व्यापक शक्ति है और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि इसका प्रयोग निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय किया जा सकता है। यदि न्यायालय की राय में आरोप विरचित करने में कोई चूक हुई है अथवा अभिलेख पर लाई गई सामग्री के प्रथम दृष्टया परीक्षण से किसी अन्य अपराध का गठन करने वाले तथ्यात्मक तत्वों का अस्तित्व भी निष्कर्षित होता है, तो आरोप में परिवर्तन अथवा अतिरिक्त आरोप जोड़ा जा सकता है।

13. उपर्युक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत, यदि वर्तमान मामले पर विचार किया जाए, तो पुनरीक्षणकर्ता द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया आवेदन विचारण न्यायालय के समक्ष पोषणीय नहीं था और विचारण न्यायालय के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अंतर्गत आदेश पारित करना आवश्यक नहीं था। यदि पक्षकार को इस प्रकार की कार्यवाही अपनाने की अनुमति दी जाती है, तो आपराधिक न्यायालय के लिए अपनी कार्यवाही समाप्त करना लगभग असंभव हो जाएगा और शीघ्र विचारण की अवधारणा संकट में पड़ जाएगी। केवल संबंधित न्यायालय को ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 216 के अंतर्गत निर्णय सुनाए जाने से पूर्व किसी भी समय आरोप जोड़ने अथवा उसमें परिवर्तन करने की अनन्य शक्ति प्राप्त है और किसी भी पक्ष को अधिकार के रूप में आवेदन प्रस्तुत करके आरोप जोड़ने अथवा उसमें परिवर्तन की मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।

14. उपर्युक्त के दृष्टिगत यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष धारा 216 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत किसी धारा को जोड़ने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने हेतु सक्षम नहीं था, इसलिए अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं था। आक्षेपित आदेश के परिशीलन से पता चलता है कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन के आधार पर ही धारा 396 आई.पी.सी. के अंतर्गत आरोप विरचित करने की कार्यवाही की। इससे यह प्रकट नहीं होता कि न्यायालय ने स्वयं साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात आवेदकों एवं अन्य सह-अभियुक्तों के विरुद्ध अतिरिक्त आरोप विरचित करने का निष्कर्ष निकाला हो। अतः उपर्युक्त के दृष्टिगत आक्षेपित आदेश महत्वपूर्ण अनियमितता एवं अवैधता से ग्रस्त है और चूंकि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत आवेदन पोषणीय नहीं था, इसलिए धारा 396 आई.पी.सी. के अंतर्गत अतिरिक्त आरोप विरचित करने संबंधी आक्षेपित आदेश विधि की दृष्टि में स्थिर रखने योग्य नहीं है। जहां तक कार्यवाही जारी रखने का संबंध है, उसे निरस्त करने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है।

15. उपर्युक्त के दृष्टिगत, बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या 38347 सन् 2025 तथा बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के अंतर्गत आवेदन संख्या 27193 सन् 2025 **आंशिक रूप से स्वीकार** किए जाते हैं और सत्र विचारण संख्या 42 सन् 2006 (राज्य बनाम अमर सिंह और अन्य), जो मुकदमा अपराध संख्या 114 सन् 2005, धारा 396 आई.पी.सी., थाना-धनारी, जिला-बदायूं से उत्पन्न है तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बदायूं के समक्ष लंबित है, में धारा 396 आई.पी.सी. के अंतर्गत अतिरिक्त आरोप विरचित किए जाने संबंधी दिनांक 24.06.2025 का आक्षेपित आदेश एतद्वारा **अपास्त** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

13 अगस्त, 2026

आदित्यजी